

G A 12  
31/7/14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

( CIVIL WRIT JURISDICTION )

C.W.J.C.No. \_\_\_\_\_ of 2014.

Poonam Devi .....Petitioner

VERSUS

The State of Bihar and others.....Respondents.

Subject:- ARMS ACT

INDEX.

Sl.No.	Particulars.	Pages
1.	Synopsis.	i to
2.	Petition under Article 226 of the Constitution of India.	1 to 14
3.	Annexure-1: A true copy of license. - - -	15-17
4.	Annexure-2: A true copy of the Letter dated 15.10.2013. - - -	18-19
5.	Annexure-3: A true copy of Letter dated 18.10.2013. - - -	20
6.	Annexure-4: A true copy of Letter dated 31.10.2013. - - -	21
7.	Annexure-5: A true copy of explanation dated 18.11.2013. - - -	22-23

(ii)

Sl.No.	Particulars.	Pages
8.	Annexure-6: A true copy of Notice dated 08.03.2014. - - - - -	24
9.	Annexure-7: A true copy of representation dated 14.03.2014. - - - - -	25
10.	Annexure-8: A true copy of the order dated 16.07.2014. - - - - -	26
11.	Annexure-9: A true copy of judgment dated 24.04.2014. - - - - -	27-3
12.	Vakalatnama of the petitioner.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

( CIVIL WRIT JURISDICTION )

C.W.J.C.No. \_\_\_\_\_ of 2014.

Poonam Devi ..... Petitioner

Versus

The State of Bihar and others.....Respondents.

-: SYNOPSIS :-

This is an application for quashing of order dated 16.7.2014 passed by District Magistrate, Madhepura by which Arms licence No.01/2013 for N.P.Bore Pistol has cancelled and for direction to Respondent to restore the Arms Licence of the petitioner.

PARA-3 Petitioner is currently Mukhiya of Bokhran Parnanandpur.

PARA-4 Petitioner was granted N.P. Bore Pistol bearing Licence 27.8.2013 Annexure-1 No.1/2013.

PARA-5 Petitioner applied for purchasing Pistol at Kasipur, Kolkata.

15.10.2013 Officer-in-charge reported to S.P.Madhepura regarding Annexure-2 Criminal record of petitioner's husband and husband uncle.

(ii)

18.10.2013 S.P. Madhepura recommended for cancellation of Arm  
Annexure-3  
Para-7

Licence of petitioner.

31.10.2013 Petitioner was asked Show cause.  
Annexure-4

18.11.2013 Petitioner submitte explanation.  
Annexure-5

16.7.2014 Petitioner's arm licence has been cancelled.  
Annexure-8

PARA-14 Arm Licence of the Petitioner has been cancelled on

frivolous ground.

Annexure-9 Petitioner's husband Ranjit Kumar has been acquitted in  
PARA-15

Arms Act Case.

PARA-16 Petitioner's husband distant uncle Kedar Yadav died very

earlier and petition had no concern with him.

PARA-20 Action of Respondent authority is malicious, contrary

to law.

PARA 21 There is no any criminal activity is so far reported


against the petitioner.

Hence this Writ application.

GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT  
PATNA SCORE PATNA

COURT FEE

Authorization No. 2676



STAMP DUTY

00000

0000285

375464

बिहार  
JUDICIAL

31.7.2014

BIHAR

1813 1542962

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

( CIVIL WRIT JURISDICTION )

C.W.J.C.No. \_\_\_\_\_ of 2014.

In the matter of an  
application under Article  
226 of the Constitution of  
India.

And

In the matter of :-

Poonam Devi Wife of Ranjit Kumar, Resident of  
Village-Pokhram Parmanandpur, Navtoliya, Police  
Station- Murliganj, District- Madhepura.

..... Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar through District Magistrate,  
Madhepura.

2. The District Arms Officer, Madhepura.
3. The In-charge Officer (Arm) Collectorate,  
Madhepura.
4. The Superintendent of Police, Madhepura.

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshi,  
the Chief Justice of the High Court of  
Judicature at Patna and her Companion  
Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on  
behalf of the petitioner  
named above;

Most Respectfully Sheweth :-

1. That this is an application for  
issuance of an appropriate writ in the nature of  
certiorari for quashing of order as contained in  
Memo No. 278 dated 16.07.2014 issued by the District

Magistrate, Madhepura whereby the Arm License No. 01/2013 for N.P. Bore Pistol issued in the name of the petitioner has been cancelled directing her to deposit the same within twenty four hours after receipt of the order and for issuance of appropriate writ in the nature of Mandamus direction to the Respondents to restore the Arm License No. 01/2013 of N.P. Bore Pistol of the petitioner and any other appropriate writ, order, direction save and except in accordance with law.

2. That the petitioner is the citizen of India and residing within territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

3. That the petitioner is currently Mukhiya of Pokhram-Parmchandpur Gram Panchayat under Block and P.S. Murliganj, District- Madhepura.

4. That the petitioner was granted N.P. Bore

Pistol license numbering 01/2013 by the District Magistrate Madhepura vide his order passed on 27.08.2013 in accordance with law and established provisions after proper verification and recommendation from Police officers right from S.H.O. to the Superintendent and declared its validity right from 27.08.2013 to 31.12.2015 directing to procure the Arm and produce the same by 25.01.2014.

A true copy of license is annexed herewith and marked as Annexure-1' to this writ application.

5. That after receiving the license the petitioner acceded to Arms and shell factory Kasipur Kolkata and deposited the price with factory for procurement of the Arm and filed an application before the District Magistrate, Madhepura requesting him to issue



N.O.C. to bring the same from Kolkata as the area validity of petitioner's license was within the District.

6. That the petitioner was lying in wait for the N.O.C. and in the meantime, S.H.O. (the Officer-in-charge) Murliganj at the instance of political rival referred a fabricated report dated 15.10.2013 mentioning therein that the petitioner's husband namely Ranjit Kumar is a person of criminal activity and against his one criminal case is lying pending. The Officer-in-charge further reported in the same memo that brother of her father-in-law Kedar Yadav is also a veteran criminal and he is named in several criminal cases. The Officer-in-Charge forwarded the report to the Superintendent of Police, Madhepura vide letter No. NIL dated 15.10.2013.

A true copy of the letter

dated 15.10.2013 is annexed

herewith and marked as

Annexure-2' to this appli-  
cation.

7. That the Superintendent of Police,  
Madhepura forwarded this report vide his letter No.  
Nil dated 18.10.2013 to the District Magistrate,  
Madhepura recommending for cancellation of the Arm  
license issued to this petitioner.

A true copy of letter dated  
18.10.2013 is annexed here  
with and marked as Annexure-3  
to this application.

8. That in-charge Officer Arms, Madhepura  
through his letter vide No. Nil dated 31.10.2013 asked  
this petitioner for the show cause as why not her arm  
license be cancelled.

A true copy of letter dated  
31.10.2013 is annexed here-  
with and marked as Annexure-4

to this application.

9. That the petitioner submitted his explanation dated 18.11.2013 to the District Magistrate, the District Magistrate at Madhepura that only one case of Arms Act was lodged against Ranjit Kumar in 2008 in which he was falsely been implicated by the rival villagers mentioning further that the petitioner has not any concern with the alleged Kedar Yadav who had already died much before.

A true copy of explanation dated 18.11.2013 is annexed herewith and marked as Annexur '5' to this application.

10. That the Officer-in-Charge, Murliganj Police Station vide Notice No. Nil dated 8.03.2014 directed this petitioner to produce arm and cartridges for verification during the period between 13.03.2014 to

14.03.2014.

A true copy of Notice dated  
08.03.2014 is annexed here-  
with and marked as Annexure-  
'6' to this application.

11. That the petitioner in obedience to such  
letter approached to the then verifying authority the  
Circle Officer, Murliganj on 14.03.2014 and produced  
her bare arm license for verification as the descri-  
bed arm could not be procured for want of No Objection  
Certificate already applied for to the District  
Magistrate, Madhepura.

A true copy of representa-  
-tion dated 14.03.2014 is  
annexed herewith and marked  
as Annexure-'7' to this  
application.

12. That the petitioner was lying in wait for ti

the No Objection Certificate to procure the arm from Kolkata and in the meantime District Magistrate vide his order dated 16.07.2014 cancelled the arms license No.01/2013 already granted to this petitioner taking ground of criminal history of her husband and a relative.

A true copy of the order dated 16.07.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-'8' to this application.

13. That the order of the Respondent authority is arbitrary, mala fide as the same is passed without considering facts, circumstances and the information mentioned in the explanation submitted by this petitioner.

14. That arm license of the petitioner has been

cancelled on frivolous ground of criminal antecedent of petitioner's husband her relative.

15. That it is to be humbly submitted that the petitioner's husband Ranjit Kumar was a juvenile in the year 2008 and when the alleged case of Arms Act bearing Murliganj Police Station Case No.61 of 2008 was lodged against him. In that case, Ranjit Kumar has already been acquitted by the J.J. Board vide order dated 28.03.2014, it is to be submitted further that alleged Kedar Yadav died on 24.04.2012.

A true copy of said judgment dated 24.04.2014 is annexed herewith and marked as Annexure '9' to this application.

16. That so far the criminal antecedent of petitioner's husband's distant uncle Kedar Yadav is concerned, he had already died and the petitioner and her in-laws family had not any concern with him.

17. That the petitioner had been granted arm license on 27.08.2013 after proper verification and inquiry with regard to status, character and deserving capacity of the petitioner.

18. That the petitioner was granted arm license but till the date neither pistol nor the cartridges could be procured by her for want of No Objection Certificate. Cash for the pistol is still lying deposited with Arm Factory, Kasipur, Kolkata and at this state, plea of any misuse is not sustainable as the arm is yet not procured.

19. That the petitioner is currently mukhiya and posing threat to her life from the political rivals as she has to move across the Panchayat area for supervision of development work.

20. That the action of the Respondent authority is malicious, contrary to law and violation of procedural norms and natural Justice.

21. That there is no any criminal activity is so far reported against this petitioner by the Police and other authority concerned nor any case is ever lodged and currently lying pending against this petitioner.

22. That the petitioner has no any other alternative and efficacious remedy other than by way of this application.

23. That the petitioner has not earlier moved before Hon'ble High Court for the relief as prayed in Para 1 of the application.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application, issue rule NISI, calling upon the Respondent and after hearing the parties be pleased to allow this writ application and grant relieves as prayed in



-13-

Para - 1 of this application.

And/Or

Pass such other order or orders as

Your Lordships may deem fit and

proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT.

I, Poonam Devi, aged about 26 years, Wife of Ranjit Kumar resident of Village-Pokhran Parmarandpur, Navtoliya, Police Station-Murliganj, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and the statements of facts made in para 1 to 5 and 8 to 21 are true to my knowledge and those made in para 6 and 7 are based upon informations derived from the records of the case which I believe to be true and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/photostat copies of their respective originals.

पुनम देवी

Ann X

मुरलीधर  
श.स. पंजा सं- 17  
पेज सं- 49



15

FORM II

Lience for the acquisition  
possession and arrying  
of arms or ammunition  
for sport protection  
display x

x The ~~appropriate~~ term(s)  
should be deleted. The word  
'tourist' shall be stamped  
across a licence issued under  
entry 3 (g) of schedule II

1. The fees payable in respect of the initials grant  
and each subsaquent year of grant or renewal of  
licence in this Form shall be at the following rates.

[ 1 ]

16

FROM III (contd)

Arms & ammunition that licence is entitled to possess

Sl. No. of licence	Name & Description and residence of Licensee	Brief Description of each weapon with details e.g. identification marks register number etc.	Quantity & description of each kind of Ammunition	
			Maximum to be possessable at any one time	Maximum purchasable during the year
	<p>Sl. No. - 01/2013 (मुरलीजिज धाना) श्रीमती पुनम देवी पति - श्री रंजीत कुमार शा. - परमानन्दपुर (नरेंद्र सायब) जिला - मधेपुरा</p>	<p>एक एवपीओ कोर पिस्तौल नं०-3</p>	<p>25 (पच्चीस) कार्ट्रिज</p>	<p>100 (एक सौ) कार्ट्रिज</p>

Name father's Name and address of retainer (if any) covered by the licence	Arms of Ammunition that retainer of entitled possess		Area with in which the licence is valid	Date on which licence is valid	Date on which the licence or the arms or both shall be produced for inspection before licensing authority under rules 52 (2)
	Arms	Ammunition			
6	7	8	9	10	11
			मधेपुरा जिला	31-12-2015	25-01-2014



L. NO. - 01/2013

(मुरलीजिज धाना)

he ..... of ..... [4]

(SEAL)

Licensing Authority Designation Place

जिला मन्त्री कार्यालय  
मधेपुरा 27/01/13  
27/01/13

Signature

17

provided that where a licence is granted in from III, IV & V or VI for the possession of arms to be aquired by the licence subqunt to the grant of the licence the authority granting the licence shall at the time or granting the same direct that within a period specified by him in this behalf which he may from time to time extend the arms covered by the licence shall be acquired and that the licence for the arms or the both shall be produced for this inspection and if within the period so specific or extended the licence tailed to acquire the arms and to produce the licence or the arms or both as the care may be the licence shall ceases to be inforce.

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal



FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal स्वीकार्य सीचन सी०-16-530/2-13 के दि०पृ०-3/दि०पर दिनांक 05-8-13 से

जिला दण्डाधिकारी महोदय, मधुपुरा द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में एक एन०पी० कोर प्रिंटिंग की अनुमति निर्गत। कोषागार चलाने से-08 दिनांक -27-8-13 से अनुमति शुल्क एवं नवीकरण शुल्क जमा के उपरान्त अर्ज अनुमति दिनांक -31-12-2015 तक मान्य प्रस्तुत शर्त प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 25-01-14 तक निर्धारित की जाती है।

जिला दण्डाधिकारी  
मधुपुरा  
27/8/13

17


अने क चर -

संबन्धित सीका सं० 16- 530/ 12-13 के टि० पृ०  
उ/टि० पर दिनांक 5.8.13 को जिला देहाधिकारी महेन्द्रा,  
महेपुरा द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में एक स्म. पी.बोर पिस्टल  
की अनुज्ञापत्र में निर्गत / कोषागार चलान सं० 02 दिनांक 27.8.13  
से अनुज्ञापत्रशुल्क एवं नवीकरण शुल्क जमा के उपरांत यह अनुज्ञापत्र  
दिनांक 31.12.2015 तक मान्य परवृक्षास्त्र प्रवृत्त करने कीअधी दिनांक  
25.1.14 तक निर्धारित की जाती है।

ह० स०

जिला शास्त्र देहाधिकारी महेपुरा

27.8.13



सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय  
मधेपुरा

विषय :- श्रीमति पुनम देवी पति रंजीत कुमार साठ-परमानन्दपुरा  
(नवयेलिया) पाना सुरलीगंज जिला-मधेपुरा का निर्गत  
अनुवृत्ति सं०- 01/2013 पर पुनर्निर्वाह करने के संबंध  
में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में साफ सूचित करा है कि  
श्रीमति पुनम देवी पति रंजीत कुमार साठ-परमानन्दपुरा (नवयेलिया)  
पाना सुरलीगंज जिला-मधेपुरा के नाम से अनुवृत्ति सं०-  
01/2013 निर्गत किया गया है जबकि श्रीमति पुनम देवी  
के पति रंजीत कुमार एवं रंजीत कुमार के चाचा केदार यादव  
पं० अकेश्वरी यादव वामो साठ परमानन्दपुरा (नवयेलिया)  
पाना-सुरलीगंज जिला-मधेपुरा अपराधी नहीं हैं, इन  
दोनों का अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

रंजीत कुमार :-

- (1) सुरलीगंज पाना क्रमांक 61/08 दि० 25.4.08 याए 25(1-6)A/  
26 शस्त्र अधि०

केदार यादव :-

- (1) सुरलीगंज पाना क्रमांक-103/02 दि० 24.12.02 याए-143/143/149  
302/307/120(B) साठ दि० एवं 27 शस्त्र अधि०
- (2) सुरलीगंज पाना क्रमांक-21/04 दि० 25.2.04 याए-143/148/149  
307/384/386 साठ दि०
- (3) सुरलीगंज पाना क्रमांक-99/06 दि० 15.10.06 याए-302/34  
साठ दि०
- (4) कुमार खड्ड पाना क्रमांक-09/07 दि० 19.1.07 याए-396 साठ दि०
- (5) खोर कजा पाना क्रमांक-258/06 दि० याए-307/427/34  
साठ दि०
- (6) गडहरा (रघुकेश नगा) पाना क्रमांक-133/09 दि० 24.12.09 याए-  
302/120(B)/34 साठ दि० एवं 27 शस्त्र अधि०
- (7) सुरलीगंज पाना क्रमांक-86/04 दि० 28.4.04 याए-302/202/34  
साठ दि०

(कृपया पढ़ें)

(8) 9584 (रघुवंश-का) बला 9840-36/10 दि 22-10-10  
आप-147/148/149/307/353/504-आप-दि 25  
25(1-13)A/26/27/35 शास्त्र अधिसूचना।

19

(9) मुरली गँज बारा आ 139/07 दि 2-10-07  
आप-302/34 आ आप दि 27- शास्त्र अधिसूचना।

उपरोक्त बातों पर ध्यान रखते  
इए श्री मति पुनम देवी पति रंजीत कुमार दास-परमानन्द  
(नवरोलिभा) बारा-मुरली गँज जिला-मण्डल का  
से निर्गत अनुबन्धि सं- 04/2013 पर पुनर्निर्धार  
करके हेतु सीमाना के अणुलोकन में जारी जारी है।

निष्कार बाजन

*[Signature]*

15.10.13

बारा एचएच

मुरली गँज बारा।

D.M  
MBA



T.C

अ नं कचर -2•

थाना अध्यक्ष सुरली गंज थाना का कार्यालय

ज्ञापक 1731/13 दिनांक 15.10.13

सेवा मे,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ,

मधेपुरा

विषय :- श्रीमति पुनम देवी पीत रंजीत कुमार साठ परमानंदपुर

॥ नवटोलिया ॥ थाना सुरली गंज जिला मधेपुरा का निर्गत अनुज्ञापित

सं० 01/2013 पर पुर्नविचार करने के संबंध मे।

महाशय ,

उपर्युक्त विषयके संदर्भ मे सादर सूचित करना हैकि श्री मति

पुनम देवीमति रंजीत कुमार साठ परमानंदपुर ॥ नवटोलिया ॥ थाना

सुरली गंज जिलामधेपुरा के नामसे अनुज्ञापित सं० 01/2013 निर्गत किया

किया गया है। जबकि श्री मतिपुनमदेवी केमति रंजीत कुमार एवं रंजीत कुमार

के चाचा केदार यादव पैठ भुवनेश्वरी यादवदोनो साठ परमानंदपुर

॥ नवटोलिया ॥ थाना सुरली गंज जिलामधेपुरा अपराधी प्रवृत्त के है

उन दोनोकाअमराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

रंजीत कुमार

1. सुरली गंज थाना का सं० 61/08 दिनांक 25.4.08 धारा

2.

धारा - 25(1)-बी ए / 26 शास्त्र अधिनियम

केदार यादव

1. सुरली गंज थाना कांडसं० 103/02 दि० 24.12.02 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120 बी भा० दायित्व एवं 27शास्त्र अधि०
2. सुरली गंज थाना कांडसं० 21/04 दि० 25.2.04 धारा 147, 148, 307, 384, 386, भा० दायित्व
3. सुरली गंज थाना कांड सं० 99/06 दि० 15.10.06 धारा 302, 34 भा० दायित्व
4. कुमार खंड थाना कां० सं० 09/07 दि० 19.1.07 धारा 396 भा० द०
5. सोर बाजार थाना कांडसं० 258/06 दि० धारा 2 307, 427, 34 भा० दायित्व
6. बडहारा ॥ रघुवंश नगर ॥ थाना कांडसं० 133/09 दि० 24.12.09 धारा 302, 120 बी /34 भा० दायित्व एवं 27शास्त्र अधि०
7. सुरली गंज थाना कांड सं० 86/04 दि० 28.4.04 धारा 302, 201, 34 भा० दायित्व
8. बडहारा ॥ रघुवंश नगर ॥ थाना कांडसं० 36/10 दि० 22.8.10 धारा 147, 148, 189, 307, 353, 504, भा० दायित्व एवं 25(1)-बी ए. 26. 27 35 शास्त्र अधिनियम

1911

3.

9. सुरली गंज थाना कांड सं० 139/07 दि० 2.10.07 द्वारा

302, 34 भा० द०व० एवं 27 शास्त्राधीनयम

उपरोक्त बातीपर ध्यान रखतेहए श्री मति पुनम

देवी पति रंजीव कुमार सा० परमानंदपुरि नवटोलिया ४ थाना सुरली गंज

जि० मधेपुरा कोपूर्व सेनिर्गत अनुज्ञापित सं० 01/2013 पर पुर्नविचार

करने हेतु श्रीमान केअवलोकनार्थ भेजी जा रही है।

विश्वास भाजन

ह०अ प०ट

15.10.13

थाना अध्यक्ष सुरली गंजथाना

Amr...

20

आपक:- गो0 (आग्नेयास्त्र)

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, मधेपुरा,  
मधेपुरा, दिनांक: 22/1/13

सेवा में श्री 21/1/13

श्री 21/1/13

प्रमाण:- श्री 21/1/13 का आधाक-1731/13, दिनांक-17/1/13

विषय:- श्री 21/1/13 पुत्र देवी प्रति रंजीत कुमार सा0 परमममपुरा (स्वयंदिना), मधेपुरा जिला मधेपुरा का निर्गत अनुज्ञप्ति सं0 01/2013 के संबंध में।  
महाशय.

उपरोक्त प्रमाण एवं दिव्य से संबंधित श्रीमति पुत्र देवी प्रति रंजीत कुमार के अनुज्ञप्ति सं0 01/2013 शस्त्र निर्गत किया गया है। जहाँ पुत्र देवी के पति रंजीत कुमार एवं रंजीत कुमार के चाचा केदार यादव अपराधी प्रवृत्ति हैं। राजावत मुरलीमंजु द्वारा सन्नर्तित परिसर में रंजीत कुमार एवं केदार यादव के अपराधिक इतिहास ज्ञात किया गया है जिसे भूल में संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः आज्ञा है कि पुत्र देवी को निर्गत अनुज्ञप्ति सं0 01/2013 शस्त्र के उनके पति रंजीत कुमार एवं चाचा केदार यादव के अपराधिक इतिहास के कारण से निर्गत हुये निर्गत अनुज्ञप्ति को रद्द करने से संबंधित पुर्नविचार करने को मूला के तार

अनुवाक:- यथोपरि।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा

T.E

अ नेकचर -3-

ज्ञापक 50 / गौ० आग्नेयास्त्र § पुलिसअधिक्षक कार्यालय मधेपुरा

वरीय प्रभारी पदाधिकारी  
शाखाशास्त्र  
सेवा मे,

मधेपुरा दिनांक 18.10.2013

जिला मदाधिकारी  
मधेपुरा

प्रसंग:- थाना अध्यक्ष सुरली गंज का ज्ञापक 1731/13, दिनांक 15.10.13

विषय :- श्रीमति पुनम देवी पति रंजीत कुमार सा० परमानंदपुर इन्वटोपिल

थाना सुरली गंज, जिलामधेपुरा का निर्गत अनुज्ञापितसं० 01/2013 के संबंध  
महाशय ,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबंधित श्री मति पुनम देवी पति  
रंजीत कुमार को अनुज्ञापित सं० 01/2013 शास्त्र निर्गत किया गया है।  
जबकि पुनम देवी के पति रंजीत कुमार एवं रमल रंजीत कुमार के चाचा  
केदार यादव अराधी प्रवृत्त है। थाना अध्यक्ष सुरली गंज के द्वारा समर्पित  
प्रतिवेदन मे रंजीत कुमार एवं केदार यादव के अराधिक इतिहास अंकित किया  
गया है, जिसे मुल मे संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि पुनम देवी को निर्गत अनुज्ञापितसं० 01/13  
को उनके पति रंजीत कुमार एवं चाचा केदार यादव के अराधिक  
इतिहास को ध्यान मे रखते हुये निर्गत अनुज्ञापित को रद्द करने से संबंधित  
पुनीपचार करने की कृपा की जाय ।  
अनुलग्नक - धोपारि

होजमण्ट पुलिस अधीक्षक मधेपुरा  
18.10.13

*Amulya*  
समाहरणालय, मधेपुरा  
(शस्त्र शाखा)

21

ज्ञापांक 522/शस्त्र,  
28447

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,  
दिनांक 31-10-13


प्रेषित:


श्रीमती पुनम देवी,  
पति- श्री रंजीत कुमार,  
सम-परमानन्दपुर (बघटोलिया),  
थाना-मुरलीगंज,  
जिला-मधेपुरा।

विषय : थाणाध्यक्ष, मुरलीगंज द्वारा समर्पित पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।  
प्रसंग : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को ज्ञापांक 151/गो0 (आग्नेयास्त्र), दिनांक 18-10-2013 एवं  
थाणाध्यक्ष, मुरलीगंज के ज्ञापांक 1731/13, दिनांक 15-10-2013।

उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक पत्र के सदर्थ में कहना है कि आपके पति श्री रंजीत कुमार एवं आपके पति के चाचा श्री केदार यादव अपराधी प्रवृत्ति के हैं एवं इनके विरुद्ध मुरलीगंज थाना में अपराधिक इतिहास अंकित किया गया है, के फलस्वरूप आपके शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 01/2013 को रद्द करने के संबंध में पुर्नविचार करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।

अतएव आपको पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को ज्ञापांक 151/गो0 (आग्नेयास्त्र), दिनांक 18-10-2013 एवं थाणाध्यक्ष, मुरलीगंज के ज्ञापांक 1731/13, दिनांक 15-10-2013 की धारणाप्रति संतुष्ट करते हुए निदेश है कि उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों कांडों के आलोक में आप अपना स्पष्टीकरण एक पक्ष के अन्तर् जिला पदाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं आपके पति श्री रंजीत कुमार के उनके चाचा श्री केदार यादव के अपराधी छवि होने के कारण आपके शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 01/2013 (पिस्टल) को रद्द कर दी जाए। उक्त अवधि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण यह समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपके अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

  
प्रभारी पदाधिकारी,  
शस्त्र, मधेपुरा।



Deposited  
Through official  
post  
No. - 165  
16-11-13

जिला पदाधिकारी, महोदय  
समाहरणालय, मधेपुरा।

विषय :- थानाध्यक्ष मुरलीगंज, द्वारा समर्पित पत्र ज्ञापांक 173/13 दिनांक 15.10.13 एवं पुलिस अधीक्षक मधेपुरा का ज्ञापांक 151/गो० आग्नेयास्त्र दिनांक 18.10.2013 के आलोक में स्पष्टीकरण के संबंध में।

प्रसंग :- समाहरणालय ज्ञापांक 522 शस्त्र दिनांक 31.10.2013  
महाशय,

महाशय उल्लेखित विषय एवं प्रसंग से संबंधित पत्र मेरे पति को समाहरणालय कक्ष में दिनांक 16.11.2013 को हस्तगत कराया गया, जबकि इस आशय का पत्र अद्यतन मुझे विधिवत् उपलब्ध नहीं हो सका है तथापि प्रसांगिक पत्र के अनुपालन में मैं यह स्पष्टीकरण समर्पित करती हूँ।

मुझे जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा द्वारा पूरी तरह से छानबीन कर एवं थानाध्यक्ष पुलिस, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल दंडाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के विधिवत् प्रपत्र पर अनुसंशा के उपरान्त एक (एन० पी० बौर) पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या- 1/13 निर्गत किया गया है।

अनुज्ञप्ति प्राप्ति के बाद मैंने निर्देशानुसार शस्त्र खरीदने के लिए गन एवं शेल कारखाना काशीपुर कोलकत्ता में पैसा जमा कर अलाटमेंट के प्रतीक्षा में हूँ। मुझे शस्त्र खरीद कर प्रस्तुत करने के लिए 25.01.2014 तक समय दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि मैं पोखराम परमानन्दपुर, ग्राम पंचायत का चयनित मुखिया हूँ एवं जन प्रतिनिधि के रूप में समाज सेवा में लगी हूँ।

स्थानीय जनता द्वारा एक स्थानीय प्रतिद्वंदी के विरुद्ध मत देकर मुझे जिताया है जिनके सर्वविदित रूप से वर्तमान राजनीति में गहड़ा पेट है।

यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि उन्हीं के प्रभाव में आकर वर्तमान थानाध्यक्ष ने विषयांकित पत्र प्रेषित किया है।

थानाध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से मेरे संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। जहाँ तक मेरे कथिक संबंधी केदार यादव के बारे में जो कुछ प्रतिवेदित किया गया है। उससे मेरा कोई मतलब एवं सरोकर नहीं है। थानाध्यक्ष ने उल्लेखित केदार यादव का अपराधिक इतिहास प्रतिवेदित किया है। जबकि उनकी मृत्यु बहुत पूर्व ही हो चुकी है। किसी दिगंत् के बारे में उनका चरित्र प्रतिवेदित करने के पीछे थाना अध्यक्ष का क्या

मंशा हो सकता है। इस बात का सहस्र अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी भाषा से प्रतीत होता है कि स्व० केदार यादव अभी भी जीवित है।

उल्लेखित है कि थानाध्यक्ष आरोपी एवं अपराधीक में विभेद से भी अनभिक्त प्रतित होते हैं। चुकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ इसलिए राजनीति पूर्वाग्रह से प्रेड़ित होकर भी विरोधी आरोप लगाते रहते हैं जो हमेशा सत्यता से पड़े होता है। उसी प्रकार मेरे पति पर भी एक आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया है। यह सर्वमन्य मान्यता है कि जबतक न्ययालय का निर्णय सामने नहीं आ जाता। तबतक उस आरोप को सहीं नहीं कहा जा सकता हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि थानाध्यक्ष ने विभागीय अनुशंसानात्मक व्यवस्था का पूर्णरूप से उल्लंघन कर प्रसांगिक पत्र प्रेषित किया है। विभागीय नियमानुसार उन्हें यह पत्र पुलिस निरीक्षक उपाधीक्षक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को भेजी जानी थी, वह भी मांग करने पर। किन्तु उन्होंने यह पत्र स्वतः क्यों प्रेषित किया एवं किसके प्रभाव में आकर किया इसबात को लेकर उनसे स्पष्टीकरण पुछा जाना चाहिए। मैंने आत्म रक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्ति का आवेदन किया जो मुझे उपलब्ध कराया गया है।

अगर थानाध्यक्ष मेरी सुरक्षा की पूर्ण गारंटी लिखित रूप में लें तो श्रीमान् अपने स्तर से उचित निर्णय ले सकते हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति एक न्यायिक कार्रवाई के तहत उपलब्ध करायी जाती है। इसलिये थाना अध्यक्ष का पत्र भी इसी आलोक में होना चाहिए था।

मैं पुनः समर्पित करना चाहती हूँ कि मैं उस पंचायत में किन मुशकिलों के बीच जी रही हूँ इसका जाँच स्वयं के स्तर से करने की मांग करती हूँ।

अतः सादर निवेदन है कि इस स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए प्रसांगिक पत्र को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

पुनम देवी

(पुनम देवी)

वर्तमान मुखिया

पोखराम परमानंदपुर, मुरलीगंज  
मधेपुरा।



जोड़िका

शिवन कान्हु झाड़ी वाली का नाम श्रीमति  
पुनम देवी जिला पति- रंजीत कुमार  
जा पत्ताना १०५५२ थागा- मुन्नीगंज जिला मध्या

(१९२०/११)  
आपको सूचित किया जाता है कि  
गोदा अना पुनम २०१५ को मरुदे गज  
को पत्नी थीकारी मुरली म डोपय द्वारा शिवन  
का नुमांने एवं कारकाय की जॉय दिमांन  
१३.३.१५ से दिमांक १५.३.१५ तक  
दिमा के ११ वजे से रांख्या ०५ वजे  
तक मुरलीगंज बागा की जायेगी।

ध्यान: आशु रोय है कि  
निर्धारित दिमांन व समय पर उपस्थित  
होकर अपना आपना शिवन कान्हु झाड़ी  
एवं कारकाय की जॉय का कराय कराय  
होकर ना पाना गृह्यके सामको ।

मकेश कुमार मकेश  
थाना १०५५२  
मुरलीगंज बागा

24

T.C

अ नैकचर -6.

नोटिशा

शास्त्र अनुज्ञप्ति धारी कानाम- श्री मति पुनम देवी शिपता मति रंजीतलुमार  
साठभरमानंझुर थाना सुरली गंज, जिला\*मधुर मधेपुरा १ नवटोलिया १

आपको सूचित किया जाता है कि लोकतन्त्रा चुनाव 2014 को मदे नजर  
रह अंचलाधिकारी सुरली गंज महोदय द्वारा शास्त्र अनुज्ञप्ति स्व कारतुस  
की जांचोदनांक 3.3.13 से दिनांक 14.3.14 तक दिन के 11 बजे

से संख्या ४x 4.00 बजे तक सुरली गंज थाना की जायेगी

अतः अरुोध ठेकी निर्धारित तिथि व समयपर उपस्थित

होकर अपना अपना शास्त्र अनुज्ञप्ति स्व कारतुस कीजांच अवश्य कराये

इसके इसे आवश्यक समझे।

सुकेशा कु० सुकेशा

7.3.14

सुरली गंज थाना

Seena  
14/03/14

Amx 7

सेवा में :- अंचल अधिकारी

मुरलीगंज, मधेपुरा ।

बिषय :- शस्त्र एवं कारतुश सत्यापन के संबंध में

प्रसंग :- थानाध्यक्ष मुरलीगंज द्वारा प्रेषित नोटिश संख्या- नील दिनांक 08.03.2014  
असन्न लोक सभा चुनाव के मद्देनजर शस्त्र एवं कारतुश सत्यापन से संबंधित

महाशय

उपरोक्त बिषय एवं संदर्भ में सादर सुचित करना है कि मुझे एक एन.पी. वोर पिस्टल हेतु अनुज्ञप्ति संख्या 01/2013 निर्गत है तथा शस्त्र खरीदगी के लिए कीमत आयुद्ध कारखाना कोलकता में जमा तथा शस्त्र प्राप्ति के लिए एन. ओ. सी हेतु आवेदन जिला पदाधिकारी महोदय मधेपुरा के यहाँ पूर्व से पेशित है । एन. ओ. सी. के प्रति आशा मे शस्त्र खरीद कर उपस्थापित करन संभव नही हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं शीर्फ अपना अनुज्ञप्ति प्रस्तुत कर रही हूँ।

अतः सादर निवेदन है कि अनुज्ञप्ति

सन्स्थापित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0-

पुनम देवी  
14/03/2014

नाम --

पुनम देवी

पति --

रंजीत कुमार

सा. --

परमानन्दपुर नवटोलिया

संप्रति. --

मुखिया पोखराम परमानन्दपुर

पंचायत

थाना --

मुरलीगंज

जिला --

मधेपुरा

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 151/गो0,(आग्नेयास्त्र) दिनांक 18-10-2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती पुनम देवी, पति-श्री रंजीत कुमार, सा0-पोखराम परमानन्दपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा के पति श्री रंजीत कुमार पर मुरलीगंज थाना कांड संख्या -61/08, दिनांक 25-04-2008, धारा- 25 (1-बी0) ए0/ 26 शस्त्र अधिनियम एवं रंजीत कुमार के चाचा केदार यादव पर (1) मुरलीगंज थाना कांड संख्या -03/02, दिनांक 24-12-2002, धारा- 147/148/ 149/ 302/ 307/120(बी0)भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम (2) मुरलीगंज थाना कांड संख्या -21/04, दिनांक 25-02-2004, धारा 147/148/149/307/3384/386 भा0द0वि0 (3) मुरलीगंज थाना कांड संख्या -99/06, दिनांक 15-10-2006, धारा 302/34 भा0द0वि0 (4) कुमारखंड थाना कांड संख्या- 09/2007 दिनांक 19-01-2007 धारा- 396 भा0द0वि0 (5) शोर बाजार गीना कांड संख्या- 258/06 दिनांक ....., धारा- 307/427/34 भा0द0वि0 (6) बड़हरा (रघुवंश नगर, थाना, मधेपुरा) संख्या-133/09, दिनांक 24-12-2009 धारा 302/120 (बी)/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम (7) मुरलीगंज थाना कांड संख्या-86/04, दिनांक 28-04-2004, धारा- 302/201/34 भा0द0वि0 (8) बड़हरा (रघुवंशनगर) थाना कांड संख्या-36/10, दिनांक 22-02-2010, धारा- 147/148/149/307/353/504 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी0)-26-27 शस्त्र अधिनियम एवं (9) मुरलीगंज थाना कांड संख्या-139/07, दिनांक 02-10-2007, धारा- 302/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अभियुक्त है। श्रीमती पुनम देवी के नाम से एक एन0पी0बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति संख्या-01/2013 (मुरलीगंज थाना) निर्गत है, जिसे इनके पति रंजीत कुमार एवं पति के चाचा केदार यादव के अपराधिक इतिहास के कारण रद्द करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक-144,दिनांक-12/12/2013 के द्वारा श्रीमती पुनम देवी, पति-श्री रंजीत कुमार, सा0-पोखराम परमानन्दपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा के नाम से निर्गत एन0 पी0 बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं0-01/2013 को अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का सत्यापन निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत नहीं कराए जाने एवं विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण शस्त्र नियमावली-1962 के नियम 63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त 9(ए) का उल्लंघन मानते हुए निलंबित कर स्पष्टीकरण पूछा गया था। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 151/गो0, दिनांक 18-10-2013 से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध कराते हुए भी स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाब आवेदन प्राप्त हो चुका है। अपने जवाब आवेदन में अंकित किया है कि मेरे उपर कोई आरोप गठित नहीं है। मेरे पति पर राजनीति एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विरोधी द्वारा आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया है, जो न्यायालय के न्याय/निर्णय पर निर्भर करता है।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा एवं थानाध्यक्ष, मुरलीगंज से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्रीमती पुनम देवी के पति जिनके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत मुरलीगंज थाना कांड संख्या -61/08,दिनांक 25-04-2008,धारा-25 (1-बी0) ए0/26 भी दर्ज किये जाने का उल्लेख है एवं इनके पास अनुज्ञप्ति पर शस्त्र धारित होने पर शस्त्र के दुरुपयोग एवं किसी भी अप्रिय घटना की पुनर्वृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता है। अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त स्पष्टीकरण भी संतोषप्रद नहीं है। प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन एवं अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त जवाब आवेदन के आधार पर स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं है।

अतएव पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचार करते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(b)(d) के आलोक में श्रीमती पुनम देवी, पति-श्री रंजीत कुमार, सा0-पोखराम परमानन्दपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा के नाम से निर्गत एन0पी0बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति सं0-01/2013 (मुरलीगंज थाना) को "रद्द" किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगी।

श्रीमती पुनम देवी, पति-श्री रंजीत कुमार, सा0-पोखराम परमानन्दपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा उक्त आदेश का अनुपालन पत्र प्राप्त के 24 घंटे के अन्दर सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

३०/-

जिला दंडाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक 278/श0, मधेपुरा, दिनांक 16-07-2014

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्रीमती पुनम देवी, पति-श्री रंजीत कुमार, सा0-पोखराम परमानन्दपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2

जिला दंडाधिकारी,

अ नोवंबर -7०

॥ जिलाशास्त्र शाखा ॥

आदेश

पुलित अधीक्षक मधेपुरा के द्वारा क 151/ गो० ॥ आग्नेयास्त्र ॥ दिनांक  
18-10-2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है श्री मति पुनमदेवी पति श्री  
रंजीत कुमार सा० पोथराम परमानंदपुर थाना सुरली गंज जिला मधेपुरा  
के पति श्री रंजीत कुमार पर सुरली गंज थाना कांड संख्या 61/08 दिनांक  
25-4-2008 धारा 25१(बी) र, 28 शास्त्र अधिनियम व रंजीत कुमार  
के चाचा कैदार दादव प्र 1० सुरली गंज थाना कांड संख्या 03/02,  
दिनांक 24-12-2002 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120बी भा० द 0  
वि० एवं 27 शास्त्र अधिनियम 2० सुरली गंज थाना कांड संख्या 21/04 दिनांक 25-  
2004 धारा 147, 148, 149, 307, 384, 386 भा० द 0 वि०  
3० सुरली गंज थाना कांड संख्या 99/04 दिनांक 15-10-2004 धारा 302, 38  
भा० द 0 वि० 4० कुमार कंड थाना कांड संख्या 09/2007 दिनांक 19-1-2007 धारा  
396 भा० द 0 वि० 5० सौर बाजार थाना कांड संख्या 258/06 दिनांक  
धारा 2 307, 427, 34 भा० द 0 वि० 6० बडहारा ॥ रघुवंश नगर थाना कांड सं०  
86/04 दि० 28-4-2004, धारा 302, 201, 34 भा० द 0 वि० एवं 27 शास्त्र  
अधिनियम 7० सुरली गंज थाना कांड सं० 86/04 दिनांक 28-4-2004,  
धारा 302, 201, 34 भा० द 0 वि० 8, बडहारा ॥ रघुवंश नगर ॥ थाना कां

26/11

2.

कांडिसं० 35/10 दिनांक 22.2.1010 धारा 147, 148, 149, 307, 353 50-1 भा० द० वि० एवं 25११-बी१, 26, 27 शास्त्र अधिनियम एवं 9- सुरली गंज थाना कांडिसं० 139/07 दिनांक 2.10.2007, धारा 302 34 भा० द० वि० एवं 27 शास्त्र अधिनियम के अधीन प्रकृत है। श्रीमति पुनम देवी के नामसे एक सन. पी. बी. बोर पिस्टल की अनुज्ञापित संख्या 01/2013 सुरली गंज थाना निर्गत है जिसे उनके प्रति रंजीत कुमार एवं पति के चाचा केदार यादव के अराधिक के कारण रद्द करने हेतु अनुशांसा किया गया है।

विधि प्रतिलोक इसका कार्यालय के ज्ञापक 144, दिनांक 12.2.2013 के द्वारा श्रीमति पुनम देवी पति श्री रंजीत कुमार साठ पोखराम परमानंदपुर थाना सुरली गंज, जिला मधेपुरा के नामसे निर्गत सन. पी. बी. बोर पिस्टल अनुज्ञापित सं० 01/2013 को अने शास्त्र अनुज्ञापित का स्थापन निर्धारित समाविष्ट के अर्तिगत नही कराए जाने एवं विहित प्रपत्र की सूचना उपलब्ध नही कराए जाने के कारण शास्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 के नियम अनुज्ञापित की शर्त 9 § 8 के उलंघन मानते हुए निलंबित कर स्पष्टीकरण पुछा गया था। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के ज्ञापक 151/ गौ० दिनांक 18.10.2013 से प्राप्त प्रतिवेदन का छाया प्रति अनुज्ञापित धारी को उपलब्ध कराते हुए भी स्पष्टीकरण पुछा गया था, जिसके आलोक में जवाब आवेदन प्राप्त हो चुका है, अने अने

26/2

3.

जवाब आदेशा मे अंकित किया है कि मेरे उपर कोई आरोप गठित नहीं है मेरे प्रतिपर राजनीति एवं पुर्वाग्रह से प्रसिद्धीकर विरोधी द्वारा आरोप लगातार मामला दर्ज किया गया है, जो न्यायपालिका के न्याय निर्णय पर करता है।

पुलिस अधीक्षक मधेपुरा एवं थाना अधीक्षक सुरली गंजसे प्राप्त प्रतीवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री मीत पुनम देवी के प्रति जिसके विरुद्ध शास्त्र अधिनियम के तहत सुरली गंज थाना कांड सं० १ 61/08 दिनांक 24 25.4.2008 धारा 25(1) ब(1) ए, 26 भी दर्ज किये जानेका उल्लेख है एवं इनके पास अनुज्ञापित पर शास्त्र धारित होनेपर शास्त्र के दुरुपयोग एवं किसी भी अप्रिय घटना की पुर्नवृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता है। अनुज्ञापितधारी से प्राप्त स्पष्टीकरण भी संतोषा प्रद नहीं है प्राप्त पुलिस प्रतीवेदन एवं अनुज्ञापितधारी से प्राप्त जवाब आवेदन के आधार पर स्पष्ट होता है कि अनुज्ञापितधारी शास्त्र अनुज्ञापित धार्ता का पालन करने मे सक्षम नहीं है।

अतएव पुलिस अधीक्षक मधेपुरा से प्राप्त प्रतीवेदन एवं अनुज्ञापिता के आलोक मे समयक विचार करते हुए शास्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) (बी) (डी) के आलोक मे श्री मीत पुनम देवी प्रति श्री रंजीत कुमार साठ पौखराम परमानंदपुर थाना सुरली गंज जिला मधेपुरा

26/3

4.

के नामसे निर्गत एन. पी. बोर पिस्टल की अनुज्ञापत्र सं० 01/2013 में सुरली गंज थाना को "रद्द" किया जाता है अनुज्ञापत्र धारी को आदेश दिया जाता है कि मुलम अनुज्ञापत्र पुस्त जिलाशास्त्रशाखा मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेगी।

श्रीमति पुनमदेवी पीत श्री रंजीत कुमार साठ पोथराम, परमानंदपुर थाना सुरली गंज, जिला मधेपुरा उक्त आदेश का अनुपालन पत्र प्राप्त के 24 घंटे के अंदर सुनिश्चित करेगे।

जिलाशास्त्र शाखा अधिकारी मधेपुरा को निवेदन दिया जाता है कि मधेपुरा अनुज्ञापत्र धारी द्वारा मुल अनुज्ञापत्र पुस्त जमा करते हुए कार्यालय में संधारित अनुज्ञापत्र पंजी एवं अनुज्ञापत्र पुस्त को "रद्द" प्रवृष्ट करवा कर हस्ताक्षर कर दे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

है०

जिला शाखा अधिकारी मधेपुरा

आपंक 278/शा० मधेपुरा दिनांक 16.7.2014

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक मधेपुरा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए

प्रतिलिपि :- जिला सूचना अधिकारी मधेपुरा अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा अनुमंडल

पुलिस पदाधिकारी मधेपुरा थाना अध्यक्ष सुरली गंज को सूचना एवं आवश्यक



26/4

5.

प्रमाण को सूचनार्थ स्व आवश्यक कार्याधी प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री मति पुनमदेवी, पति श्रीरंजीत कुमार स 10 पोखरामपरमान

पुर थाना सुरली गंज, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ स्व अनुपालनार्थ प्रेषित।

हे० अमष्ट

जिला द्वाधिकारी

अ नैकचर -8.

जे. जे. बोर्ड

जिलामधेपुरा

समक्षा जे.जे. बोर्ड मधेपुरा

उपस्थित:-<sup>सदस्य</sup> प्रधान ~~सदस्य~~ एवं अन्य सदस्य जे.जे.बोर्ड मधेपुरा

अभियोग अधिन धारा 25१(1)-बी१ए, /26 आयुध अधिनियम

राज्य १ द्वारा विनय चन्द चौधरी पेशा नौकरी वर्तमान थाना अध्यक्ष  
सुरली गंज, थाना व जिला मधेपुरा .... सूक्त

बनाम

1. रंजीत कुमार यादव पि० शिव नंदन यादव उम्र लगभग 26 वर्ष

साकिन नवटोलिया थाना सुरली गंज, जिला मधेपुरा

... विधीविस्तृत किशोर

अभियोजन की ओरसे- श्री दया शंकर छिलिया १ विद्वान ए. पी. पी. १

बचावपक्षा की ओरसे :- श्री राजन कुमार सिंह एवं अन्य वि० अधि०

निर्णय

1. उपरोक्त विधि विस्तृत किशोर का विचारणा आयुध अधिनियम

की धारा 25१(1)-बी१ ए, 26 केअभियोग हेतु किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है किवाद के उपरोक्त

2.

सूचक नैदिनाक 24.4.08 को 23.30 बजे उपरोक्त विधि विलुड किशोर के दरवाजेपर अपना स्वयं लिखित बयान दर्ज किया § प्रदर्श - 38

जिसमे उसने कहा कि आज रात्री 9.30 बजे थाना पर गुप्तसूचना मिली कि दुंगर अपराध कर्मी केशर यादव हथियार स्वअन्य सहयोगी के साथ पोखरा मे मोटर साइकिल से आया हुआ है। कोई कांड कर सकता है। उक्त अ ज सा का सनहा संख्या समन 21.30 बजे अंकित किया तथा छान बीन तथा अत्रिलंब कार्रवाही मे पु० अ० नि० रामचरित्र हवलदार प्रेम किशोर यादव आ० 228 मनोज कुमार आ० 20 संजय कुमार सेप 4404 शंकर प्रसाद सिंह सेप 4365 बेघन सिंह यादव गृह रक्षक चालक जय कृष्ण यादव चौकीदार 1/11 बटेश्वर पासवान चौ० 48 रामदेव पासवान के साथ अथवा थाना से प्रस्थान किया पोखराम यज्ञ स्थल पर पहुँचा तो जानकारी कि कलह मिंगली की केदार यादव व संजय यादव अन्य साथी के साथ तीन मोटर साइकिल से आया था जो चला गया पुनः केदार यादव के घर ग्राम नवटोलिया मेम टौर कर घर की छानामारी किया कुछ नहीं पपाया पुनः केदार यादव के भाइ शिवनंदन यादव के घर की छानामारी करले के क्रम मे पश्चिम भठा के पुरव वाली कोठरी मे एक आक्षी कोडबडाते देया तब किसी तरह उक्त कोठरी का दरवाजा कुलपपाया तबतक पुलिसको देखकर कुछ भीड जुठ गया जिसमे से दो हस्त स्वतंत्र साक्षी उमाशंकर यादव 2. ओम कुमार के समक्ष

3.

तलासी के नियमों का पालन करते हुए तलासी ली जा तलासी के क्रम में उक्त आदमी की लुंगी को फाडा में बांयी तरफ खोला हुआ एक देशी पिस्तौल तथा दो प्रिन्ट का गोली बरामद हुआ पछेपर उस आदमी ने अपना नाम रंजीत कुमार यादव बताया तथा शास्त्र के वैधानिकता प्रस्तुत नहीं किया और न ही कोई संतोहा जनक जवाब दिया उक्त देशी पिस्तौल गोली का <sup>नियमः</sup> जप्तसुची बनाकर उपरोक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराया जिसकी एक प्रत अशुभ रंजीत कुमार को दी व हस्ताक्षर जप्तसुची पर बनवाया देशी पिस्तौल एवं गोली को जप्त छिपाकर अवैध देशी पिस्तौल व गोली रखना संशय अपराध है जो आयुध अधिनियम की धारा 25§1-बी§ ए, 26 के अधीन दंडनीय है। रंजीत कुमार यादव को आयुध अधिनियम की धारा 25§1-बी§ ए, 26 के अधीन आरोपित करते हुए गिरफ्तार करता हूँ, साथ ही उपरोक्त स्थलियत बयान के आधार पर उक्त विधि विरुद्ध किशोर को विलुध धाना पुरली गंज में औपचारिक प्रार्थिकी संख्या 81/08 अधिनियम धारा 25§1-बी§ ए, 26 आयुध अधिनियम की धारा 25-4-08 समय 6-30 बजे अंकित की गई तत्पश्चात घटना का अनुसंधान किया गया ।

3. अनुसंधान कर्ता द्वारा अनुसंधान पूर्ण करके उपरोक्त विधि किशोर

ल४०

आयुध अधि० की धारा 25॥1-बी॥ ए/26 मे आरोप पत्र संख्या 21/08 मे माननीय मु० न्या० दे० महोदय के न्यायालय मे समर्पित किया ।

दिनांक 23.6.08 को माननीय मु० न्या० दे० मधुपुरा द्वारा उक्त वि० वि० किशोर के विरुद्ध आयुध अधि० की धारा 25॥1-बी॥ ए, 26 मे संज्ञान लिया गया तथा वाद विचारणा हेतु तत्कालीन मु० न्या० दे० के न्यायालय मे स्थानांतरित कर दिया यह वि० वि० किशोर दिनांक 25.11.13 को बोर्ड की र्म समीति हो किशोर घोषित किया तथा यह अभिलेख जे० जे० बोर्ड मधुपुरा के यहाँ दिनांक 19.9.13 को प्राप्त हुआ था।

दिनांक 13.13.13 को उर्रोक्त वि० वि० किशोर के विद्वान अधि० को प्रार्थना पत्र की प्रीलपि दी गई तथा उक्त वि० वि० किशोर के विरुद्ध आयुध अधि० की धारा 25॥1-बी॥ ए, 26 मे अभियोग का सारांश सुनाया गया जिससे उसने इंकार किया तथा वाद विचारणा की मांग किया ।

4. अब बोर्ड के समक्षा विचारणा का प्रश्न यह है कि अभियोजन पत्र पदा उपरोक्त वि० वि० किशोर के विरुद्ध लगाये गये उक्त अभियोग को युक्तियुक्त सिद्ध के परे साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने मे सफल रहा है अथवा है।

5. यहां पर यह उल्लेखनीय है कि यह अभिलेख बोर्ड के समक्षा आने के पूर्व बहस पर था तथा जब दिनांक 19.9.13 को यह अभिलेख जे० जे० बोर्ड के समक्षा आया तथा दिनांक 6.11.13 को उक्त वि० वि० किशोर को किशोर घोषित

5.

किया तथा वि० वि० किशोर के विद्यान अधिवक्ताने पूर्व के न्यायालय में ही तथा ब्यान को अक्षर स्वीकार किया इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा अपने वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में कुल आठ अभियोजन साक्षियों का सफाई कराया गया। अभियोजन साक्षी संख्या 1. मनोज कुमार 2. मो०जिआउल हक 3. प्रेम किशोर पांडे 4. मनोज कुमार राय 5. बेचन सिंह यादव 6. जटाशंकर यादव 7. ओम कुमार 8. रामवीर यादव है। अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1, 2, 3, 4, 5, 5/ए, 6 भी प्रस्तुत किये। अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्ष्य नहीं दिया गया अभियोजन साक्ष्य दिनांक 18.11.11 को बंदीकिया गया दिनांक 4.1.12, 3.14 को ब्यान अधीन धारा 2 313 द० प्र० सं० दर्ज किया जिसमें उसने अपने को निर्दोष बताया तथा अपने बचाव में निर्दोष होने का एवं गलत फैसाये की बात का अभिकथन किया गया। बचाव पक्ष द्वारा अपनी सफाई में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया बचाव पक्ष के विवेदन पर दिनांक 23.2.12 को, 322. 14 को सफाई तपक्ष्य बंदीकिया गया तत्पश्चात् उभापक्षों की विद्वतापूर्ण बहस सुनी।

#### अभियोजन सक्ष्य साक्ष्य का विवेचन

7. चूंकि अभिज्ञा 3 के साक्ष्य में यह बात आई है कि इस वाद के सूक्त विनय सिंह चौधरी की मृत्यु होगई अभियोजन द्वारा वाद में अक्ष

6.

शुभ-पत्रिका\* सुक का साक्ष्य नहीं कराया गया अभियोजन\*साक्षी।

मनोज कुमार है इन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि दिनांक 4.4.08 को 11.11.1/

बजे रात\* में नवटोलिया में रंजीत कुमार यादव के यहां छापामारी

के क्रम में दो जिन्दा गोली तथा देशी पिस्तौल मिला पैरा 07

में कहा कि रंजीत के घर से समान बरामद हुआ था। पैरा 9 में कहा कि गोली

तथा पिस्तौल की आकार नहीं बता सकता। अभियोजन साक्षी।

के साक्ष्य के आधार\* प्रदर्श प्रदर्श। औपचारिक प्राथमिकी बरामद\* प्रदर्श

पर तत्कालीन थाना प्रभारी श्री विनय चंद चौधरी के हस्ताक्षर अंकित किया

गया अभियोजन साक्षी 2 को 0 जिआउल इकडेस साक्षीने गुरुजी गंज थाना कांड

संख्या 61/08 में जप्तवस्तु प्रदर्श एकदेशी पिस्तौल दो गोली न्यायालय

में प्रस्तुत की पिस्तौल को प्रदर्श सम तथा दोनो गोलियों को वस्तु प्रदर्श

सम/। सम/।/स अंकित किया गया इन्होंने कीटिका 2 में कहा कि जो बरामद

समान लाया है, वह शिलड नहीं पैरा 4 में कहा कि पिस्तौल में गोली

नहीं छुस सका क्योंकि पिस्तौल में जंग लगा हुआ था।

अभियोजन साक्षी 3 • प्रेम किशोर पांडे\* अपने अपने मुख्य परीक्षण

में यह बताया कि छापामारी के क्रम में रंजीत कुमार यादव कमरा से

एक देशी पिस्तौल थ्रीनट की दो जिन्दा गोली, यह वही देशी

पिस्तौल तथा 2 गोली है जो हम लोगो ने पकड़ा था तथा घटना स्थल पर ही

जपित सूची बनी थी जो तत्कालीन थाना प्रभारी वी. वी. चौधरी की लिवाबट एवं हस्ताक्षर में है जपितसूची की प्रदर्श 2 अंकित किया गया रंजीत के दरवाजा पर ही तलासी थाना प्रभारी स्व० बी. सी. चौधरी ने अपना स्वलिखित खलीखत ब्यान अंकित किया गया सुपर्ण स्वलिखित को प्रदर्श -3 अंकित किया गया । तत्कालीन थाना अध्यक्ष वी. सी. चौधरी की मृत्यु हो गई है प्रतिपरीक्षा के पेरा 14 में कहा कि आर्म्स को मेरे सामने नहीं खनापा गया जिसपर घर कोतर्क किया उसके मालिक का नाम नहीं बबलाया ।

अभियोजन साक्षी 4 मनोज कुमार राम परिचारीपुर वर है इसके साक्ष के आधार पर शास्त्र जांच प्रतिवेदन पर इसके हस्ताक्षर को प्रदर्श-4 अंकित किया गया इसने जांच में पाया कि इस कांड में जपित प्रदर्श स्क • 303 की रेडमिक्शेड शोषणी पिस्तौल तथा • 303 की दो गोली गोली तथा फायर कारगर है अपेक्षु अपने प्रतिपरीक्षा में कहा कि संपूर्ण पिस्तौल की लंबाई नहीं बतासकता। गोली में नंबर नहीं अंकित था प्रदर्श शील था अभियोजन साक्षी 5. बैचन सिंह या द्य है। इसने अपने मुख्य परीक्षा में यह बताया कि घटना दिनांक 8.4.84 24-4-2008 समय 9:30 बजे रात्री की नवटोभिलया स्थित रंजीत के घर पर भी छापामारी में रंजीत से एक देशी पिस्तौल व दो गोली बरामद हुआ जपितसूची बनी। प्रतिपरीक्षा के पेरा 8



मे कहा कि मैं छापाकारी में भीतर तक नहीं गया था। पैरा 10-11-12  
 में कहा कि ज्वर प्रदर्श को मेरे सामने शील्ड नहीं किया गया था  
 थाना पर भी शील्ड शील्ड नहीं किया गया। तथा ज्वर प्रदर्श को आंखों  
 से देखा था अभियोजन साक्षी 6 जयशंकर यादव है। इसने अपनी  
 मुख्य परीक्षा में कहा कि ज्वर प्रदर्श पर मेरे हस्ताक्षर हैं। ज्वर प्रदर्श  
 इसके हस्ताक्षर को प्रदर्श 5 अंकित किया गया। इसने अपनी प्रतिपरीक्षा  
 में यह कहा कि घटना के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, तथा मेरे असाक्षर रंजीत के  
 पास शील्ड बरामद नहीं हुआ था तथा सादा कागज पर हस्ताक्षर नहीं किया  
 था। अभियोजन साक्षी संख्या 7 ओमकुमार है। इसने अपनी मुख्य परीक्षा में  
 यह कहा है कि ज्वर प्रदर्श मेरा ही हस्ताक्षर है इसे प्रदर्श 5/ए  
 अंकित किया गया। अपने प्रतिपरीक्षा के क्रम में इसने कहा कि मैं  
 घटना के विषय में <sup>कुछ</sup> कुछ नहीं जानता हूँ मैंने इसके पहले दिनांक  
 8-8-3-7-08 को न्यायालय में आकर बयान दिया कि रंजीत को पुलिस ने  
 बुठा आरोप लगाकर अवैध हथियार रखने के केश में पकड़ा दिया है  
 अभियोजन साक्षी 8- रामचरित्र यादव है अनुसंधानकर्ता इसने अपनी  
 मुख्य परीक्षा में यह बताया कि इसकांड का घटना स्थल नवढोली  
 के बीचों-बीच ग्रामीण सड़क के तिनपुहाने रास्ते पर दक्षिण तरफ केदार कर्म  
 शिव नंदन यादव का घर है। मकान के घुसने के लिए पुरव से दरवाजा है।

पुरव तरफ एक मंदिर है, आंगन में घुसने के बाद पुरव से नीचे से दोट्टी का घर तथा पश्चिम से दो ट्टी का घर तथा ऊपर टिन है पश्चिम के रुखा के बंगल दीक्षाण में रंजीत यादव हीथियार तथा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया पश्चिम की तरफ गुला हुआ है घटना स्थल के पुरव मुख्य सड़क तथा मंदिर है पश्चिम में अशोक यादव की जमीन है दीक्षाण विरंची यादव का घर उत्तर तरफ बशी बाजीयादव का घर है घटना स्थल के उत्तर से दीक्षाण तरफ रोड जुड़ा हुआ है। अभियोजन स्वीकृत आदेश प्रस्तुत किया उस पर तत्कालीन डी.एम. राजेश का हस्ताक्षर है जो प्रदर्शित किया गया। रंजीत को विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। प्रीतपरीक्षाण के पैरा 12 में कहा कि रंजीत यादव का कोई अपराधिक इतिहास नहीं पाया।

इस प्रकार सूचक ने स्वीकार किया बयान के आधार पर प्रदर्श - 3 से यह स्पष्ट है कि सूचक को 9.30 बजे रात्री में दिनांक 24.4.08 को गुप्त सूचना मिली कि तथा 23.30 बजे रंजीत यादव हीथियार एवं गोली के साथ पकड़ाया गया। सूचक की मृत्यु हो जाने के कारण इसका साक्ष्य नहीं कराया जा सका। अभियोजन साक्षी सं 0 ने अपने साक्ष्य में कहा कि दिनांक 24.4.08 को 11-11.1/2 बजे रात्री में रंजीत यादव के घर पर वह हीथियार एवं दो गोली के साथ पकड़ाया गया। अभिसाध्य 2. ने

28 10.

अभि 2 ने वस्तु प्रदर्शनी न्यायालय से प्रस्तुत किये जो शील्ड  
 शील्ड नहीं थे। अभि 3 ने कहा कि रंजीत यादव के  
 घर से रंजीत के कब्जे में वस्तु प्रदर्शनी पकड़ा गया। इससे कब पकड़ा गया  
 स्पष्ट नहीं है। पैरा 19 में कहा कि उसके घर की चौकड़ी नहीं बता  
 सकता। अभि 4 परिवारी प्रवर है। इसने जप्त प्रदर्शनी की जांच कि  
 तथा 303 की क्षात्री पिस्तौल तथा दो गोली 303 और की जांच में पाया  
 तथा कहा कि कांड प्रदर्शनी शील्ड नहीं था। अभि 5 ने अपने साक्ष्य में  
 दिनांक 24.4.08 की समय 7.30 बजे की घटना बताया तथा रंजीत  
 यादव के घर से रंजीत यादव से क्षात्री पिस्तौल तथा दो गोली बरामद  
 होने की बात कही तथा कहा कि वस्तु प्रदर्शनी को मेरे सामने शील्ड  
 नहीं किया गया तथा थाना पर भी शील्ड नहीं किया गया तथा  
 उक्त वस्तु प्रदर्शनी को अपनी आंख से नहीं देखा। अभि 6 स. 07  
 जप्त सूची को देखा गया है। जिन्होंने सूचक की कथानक का 0 सं 0 नहीं  
 किया तथा कहा रंजीत के पास से उनके समक्ष कुछ बरामद नहीं हुआ तथा  
 पुलिसने बड़ा अपराध लगाकर रंजीत को फंसा दिया। अभि 8 स. 08  
 अनुसंधान कर्ता है। जो घटना स्थल केदार तथा शिव नंदन यादव का घर  
 बताया इस प्रकार अभि 6 स. 06 स. 07 ने घटना का समर्थन  
 नहीं किया तथा सूचक का साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं है। केदार यादव

को पकड़ने के लिए छापामारी की बात कही जा रही है। तथा रेडिंग पार्टी का सदस्य अभिसार 5 ने यह <sup>कहा</sup> कि घटनास्थल पर कोई प्रदर्शन नहीं देखा। इस प्रकार यहाँ पर यह संदेह उत्पन्न होता है कि जब अभिसार 5 रेडिंग पार्टी का सदस्य था तो उसने घटनास्थल पर ऊक्त प्रदर्शन क्यों नहीं देया। अभिसार 5 के पैरा 6 में कहा कि रंजीत यादव के घर के समान बरामद हुआ था अभिसार 7 रेडिंग पार्टी के सदस्य नहीं थे। पी.डब्ल्यू. 5 कहा है कि इसने प्रदर्शन देखा ही नहीं पी.डब्ल्यू. 6-7 जप्तसूची के गवाह है इन्होंने सूचक के कथानक का समर्थन नहीं किया पी.डब्ल्यू. अनुसंधान कर्ता है इस प्रकार अभियोजन के साक्ष्य की विवेचन से यह स्पष्ट है कि रेडिंग पार्टी के सदस्य में केवल पी.डब्ल्यू 1, 3, 5 का ही साक्ष्य अभियोजन द्वारा ~~करवाया~~ कराया गया इनके साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। सूचक का साक्ष्य अभिलेखर नहीं है। जप्तसूची के गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया अतः इसी स्थिति में विधि विस्तीर्णता की संदेह कालाहल जाना उचित होगा

#### मन्तव्य

8. मैंने सुपुर्ण अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेखर मौजुद समस्त सामग्री को एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को देखा तथा अभियोजन की विस्तारपूर्ण

किये जायें। विवेचना पूर्ण बहस सुनी उसके उपरांत यह स्पष्ट है कि साक्ष्य के विवेचन के आलाोक में उपरोक्त वि० वि० किशोर को उसके विरुद्ध लाये गये उक्त अभियोगसे संदेह के आधार पर मुक्त करना उचित होगा तथा अभियोजन पक्ष अपना वाद युक्ति युक्त संदेह के <sup>पूरे</sup> ~~पूरे~~ साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने में असफल रह है।

#### आदेश

१०. उपरोक्त विवेचन के आलाोक में उपरोक्त वि० वि० किशोर रंजीत कुमार यादव को संदेह का लाभ देने हुए आयुध अधि० की धारा 25(1)-बी(1) ए, 25 के अभियोगसे मुक्त किया जाता है। चूंकि वह जमानतपर है इसलिए उनके जमानत संबंधी बंधन रद्द किये जाते हैं। उनके प्रतिभुओं को भी उसके जमानत संबंधी अधिनियम से उद्घोषित किया जाता है।

होसपट

प्रधान स दस्त जे.जे.बोर्ड

दिनांक 2 8.3.13